



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 124430

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत अर्जी संख्या - 18932 वर्ष 2026

गिराज किशोर

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : राजेश कुमार पाल

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री राजेश कुमार पाल और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए.. श्री जी.पी. सिंह की बातें सुनीं और रिकॉर्ड देखा।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. सबसे पहले, विद्वान एजीए ने बताया कि पहले सूचना देने वाले व्यक्ति को नोटिस भेज दिया गया है।

3. यह जमानत अर्जी मुकदमा अपराध संख्या 187/2025 (धारा 137(2), 64(1) बीएनएस और 3/4 पाँक्सो एक्ट, थाना निवाड़ी, ज़िला गाज़ियाबाद) में विचारण चलने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग के साथ दायर की गई है।

4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके खिलाफ कोई भी दोषी ठहराने वाला सबूत नहीं है। यह भी कहा गया है कि घटना के चार दिन बाद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी। एफ.आई.आर. में आवेदक का नाम नहीं है। साथ ही, एफ.आई.आर. के अनुसार पीड़ित की उम्र 14 साल बताई गई है, लेकिन कक्षा 8 के स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट में पीड़ित की उम्र 16 साल तीन महीने है। आवेदक 21.11.2025 से जेल में बंद है। अगर उसे जमानत मिलती है, तो वह जमानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की अर्जी का ज़ोरदार विरोध किया, लेकिन ऊपर बताई गई बातों को गलत नहीं ठहरा सके।

6. एफ.आई.आर. के अनुसार, पीड़िता ने बीएनएस की धारा 180 और 183 के तहत अपने बयान में कहा है कि वह आरोपी के संपर्क में थी और उस तारीख को उसके साथ चली गई थी;

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसके शिक्षा रिकॉर्ड के अनुसार पीड़िता की उम्र 16 साल तीन महीने पाई गई है। बीएनएसएस की धारा 183 के तहत दर्ज उसके बयान में यह भी कहा गया है कि आरोपी ने उसके साथ रेप किया; शिक्षा रिकॉर्ड के अनुसार पीड़िता की उम्र 16 साल पाई गई है। बीएनएसएस की धारा 183 के तहत दर्ज बयान में उसने यह भी कहा है कि आरोपी द्वारा रेप किए जाने के बाद वह उसके साथ हाईवे पर गई और ऑटो का इंतज़ार कर रही थी, जबकि आरोपी पानी की बोतल लेने गया था; बयान से पीड़िता का व्यवहार पूरी तरह से असामान्य लगता है।

7. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों, अपराध की प्रकृति, सबूतों और आरोपी की भूमिका पर विचार करते हुए; साथ ही जेलों में भीड़ और विचारण न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए; और **कपिल वधावन बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038)** मामले में सुप्रीम न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024 एससीसी ऑनलाइन सभी 6765)** मामले में जमानत देने के संबंध में इस न्यायालय की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए—और मामले के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना—मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

8. इसलिए, यह अर्ज़ी **मंज़ूर** की जाती है।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. ऊपर बताए गए अपराध में शामिल आवेदक - **गिराज किशोर** को ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक पर्सनल बॉन्ड और दो ज़मानतदार पेश करे, और साथ ही निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

(i) आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके, और न ही वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) ज़मानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में शामिल नहीं होगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा भरे गए बॉन्ड की शर्तों के अनुसार पेश होगा।

10. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर ज़मानत रद्द की जा सकती है।

11. बॉन्ड स्वीकार करने से पहले, संबंधित न्यायालय को आवेदक और ज़मानत देने वालों की पहचान, स्थिति और पते के सबूत की पुष्टि करनी चाहिए। न्यायालय को आवेदक और ज़मानत देने वालों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की भी पुष्टि करनी चाहिए।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के लिए 'बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम' (बीओएमएस) के ज़रिए संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजे।

13. 'सुओ मोटो रिट पिटीशन (सीआरएल.) संख्या 4/2021' (जिस पर 31.01.2023 को फैसला हुआ और जो (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट हुआ है) में 'बेल देने की नीतिगत रणनीति' के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए, ऑफिस को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक कॉपी संबंधित जेल सुपरिटेंडेंट के ज़रिए ईमेल या ई-प्रिज़न पोर्टल से 24 घंटे के अंदर आवेदक को भेजे।

1 जून, 2026

प्रियंका

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।